

कार्यालय,**प्रशिक्षण, प्रतिविधिक विभाग परिषद्,****उत्तर प्रदेश तदनामः।****संख्या - प्राचीनपारिषद सम्बद्धता/2022/7817****तारीख - दिनांक - 30/08/2022****कार्यालय जाएः**

अधिकृत भारतीय तकनीकी विकास परिषद, नई दिल्ली कार्यालयी काठगोनीत अधिकृत इकाई, नई दिल्ली द्वारा ऐकाईक सत्र 2022-23 हेतु दिनांक संवरीय तकनीकी विकास संस्थानी को अनुमोदित प्राप्तन विवेद करने के उपर्युक्त प्रतिविधिक विभाग परिषद् उपर्युक्त तदनाम सम्बद्धता विभाग प्राप्तन विवेद करने हेतु दिनांक - 30/08/2022 को परिषद् कार्यालय में सम्बद्धता संस्थानी की बैठक संबोध हुई। बैठक में सम्बोधित द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अधिकृत नई संस्थानों को सम्बद्धता प्राप्तन संस्थानों को सम्बद्धता विभाग प्राप्तन करने का विवेद लिखा गया।

सम्बद्धता संस्थानी की बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्रतिविधिक विभाग परिषद्, ऊपर्युक्त सत्र 2022-23 हेतु निर्वाचित शर्तों के अधीन प्राप्तनाम एवं उसमें अंकित प्राप्तवा क्षमता हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विभाग प्राप्तन की जाती है।

संस्था का कोड एवं नाम : 3029-SHRI BADRINATH COLLEGE OF PHARMACY

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आईसीपीटीआई०पीसीआई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	40	40

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आईसीपीटीआई०पीसीआई० द्वारा नियोजित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्रतिविधिक विभाग परिषद् सत्र 1982 तथा प्रतिविधिक विभाग परिषद् विभागमात्री-2000, सेमेस्टर विभागमात्री-2016 तथा सम्बद्धता प्राप्तवा एवं सम्बद्धता संसाधनेवाली का आयोगानन्द करनी तथा उत्तर प्रदेश विभाग संस्थानी द्वारा नियोजित शूलक तीन वर्षों इत्तमि पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत हेतु रु० ३०१६००/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्माची पाठ्यक्रम हेतु रु० ४५०००/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्यालयी पाठ्यक्रम के अन्तर्गत) हेतु रु० २२५०००/- प्रतिवर्ष शूलक ही प्रतीक्षा क्षमता से प्राप्त किया जायेगा। उत्तरप्रदेश के अंतर्विधिक विभागमात्री तथा शूलक के बाह्यात्मक एवं सामाजिक सम्बद्धता कार्यालयी द्वारा विनियोजित विभाग संस्थानों का प्राप्तवा होंगी, और तदुपराम्भ कार्यालयी किया जाना आवश्यक होगा। कीमी नियोजित समीक्षा द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु प्रवेश का पुनर्नियोजन किया जाता है, तो कीमी की नवीनीतम दरे ताकी होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद द्वारा अंदरित छात्रों को ही प्रवेश किया जायेगा।
- ✓ संस्था की सम्पादन सम्पर्क परिवर्तन विभागमात्री सम्बद्धता शूलक जल्दी होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सामाजिक विभाग विभिन्न विभागों एवं संस्थानों से एक विविधता विभाग, प्रतिविधिक विभाग, उप्रो, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद्, ऊपर्युक्त संपादन प्रतिविधिक विभाग, उत्तरप्रदेश विभाग एवं विविधता विभाग के लिये वापसी होगी।
- ✓ पहिं संस्थान का ए०आईसीपीटीआई०पीसीआई० से अनुमोदित नियत किया जाता है तो इस संबंध में सम्पादन उत्तरप्रदेश संस्था का होगा और विविधता विभाग से किसी भी कार्यालयी का विवर संबंधित विविधता विभाग, प्रतिविधिक विभाग परिषद्, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद्, प्रतिविधिक विभाग नियोजित विभाग एवं प्राप्तवीकरण की विभाग से किसी भी कार्यालयी का विवर संबंधित होगी।
- ✓ संस्थानों को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश तदनाम द्वारा प्राप्तकर्ता वर्ष प्रवेश हेतु अप्रयोगित कानूनिकित संप्रभव होने के पूर्व ए०आईसीपीटीआई०पीसीआई० से अनुमोदित प्राप्त कर परिषद् कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। अप्रयोगित उन्हें प्रदेश की (कानूनिकित के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार परापूर्ण प्राप्त) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश लकड़ा द्वारा प्रवेश हेतु सम्पादन सम्पर्क परिवर्तन विभाग नवीनीतम आवश्यक कराना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की सम्पूर्ण शूलक-वाले संस्था की लेंटिहाइक्स पूर्ण भूमि, दस्तावेज, साल-संबंध, उपकरण, प्राप्त किया जाने काल सूलक, उत्तराधिकारी आदि का विवरण उत्तरप्रदेश कराना होगा।
- ✓ संस्था को विभिन्न-प्रतिविधिक हेतु उपयुक्त तात्त्वज्ञान उपलब्ध कराने के साथ हीगे लोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक ज्ञानसत्र सुनिश्चित करने होंगी।
- ✓ संस्था पहि शूलिकों ही हो सकते हैं में संस्था में प्रकाशित संचालित पाठ्यक्रम को लाभान्वय जाने हेतु नियीनत नियमिती के सम्बन्ध उपलब्ध कराये गए अंतिरिक्ष, भूमि-भवन, जनरिचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद् को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपयोगी का प्रयोग किसी अन्य कानून के लिये कर रही है तो तकात संस्था की सम्बद्धता सम्पादन किये जाने की कार्यालयी की जायेगी।
- ✓ संस्था के औषधक स्तरीय नियिकन के द्वारा यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य संस्थान सूलक ए०आईसीपीटीआई०पीसीआई० अधिकृत परिषद् के माध्यम संस्थान उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता सम्पादन कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुदानन्द विवेद किये जाने की विधि में विभाग सूलक अनुदानन्दकार्यालयी की जायेगी।

(एफ-आर० खान)

संविद